न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश, कक्ष संख्या–1, अम्बेडकरनगर
सत्र परीक्षण संख्या–56/2016
राज्य–बनाम–सतीश यादव आदि

16.07.2016

आज यह पत्रावली आदेश हेतु नियत है।

2– अभियुक्त गुड्डू उर्फ सईद अहमद के प्रार्थनापत्र कागज सं0–8ब अन्तर्गत धारा–227 दं0प्र0सं0 पर बचाव पक्ष के विद्वान अधिवक्ता श्री जुनैद अहमद, एडवोकेट, एवं राज्य की ओर से विद्वान जिला शासकीय अधिवक्ता 'फौ0' के तर्कों को विस्तार से सुना जा चुका है।

3– अभियुक्त/ बचाव पक्ष की ओर से प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा–227 दं0प्र0सं0 के अन्तर्गत यह अभिकथित किया गया है कि अभियुक्त के विरूद्ध कोई प्रथम दृष्टया साक्ष्य नहीं है, और न ही वह प्रथम सूचना रिपोर्ट में नामित था, तथा गलत तरीके से पुलिस ने इस मामले में अभियुक्त के विरूद्ध आरोप–पत्र अन्तर्गत धारा–302,307, 120बी भा0दं0सं0 प्रस्तुत किया है। ऐसी स्थिति में अभियुक्त को उन्मोचित किया जाय।

4– अभियुक्त की ओर से मुख्य रूप से यह बहस की गयी है कि वह प्रथम सूचना रिपोर्ट में नामित नहीं था। यह भी बहस की गयी है कि गवाहों के बयान से भी अभियुक्त के विरूद्ध कोई साक्ष्य पत्रावली पर उपलब्ध नहीं है, और उसे उन्मोचित किया जाय।

5– विद्वान अभियोजक द्वारा उपरोक्त बहस का विरोध करते हुए यह बहस की गयी कि अभियुक्तगण सतीश यादव, मो0 शाहिद, सईद अहमद उर्फ गुड्डू द्वारा मृतक शोएब खान को 11.00 बजे दिन में एक राय होकर साजिशन कर्बला कासिमपुर बाजार के पास सार्वजनिक सड़क पर दिन में गोली मारकर हत्या की गयी है व राम विलास को भी जान से मारने की नीयत से फायर की गयी। यह भी बहस की गयी है कि आरोप मात्र प्रबल संदेह होने पर भी विरचित किया जा सकता है। ऐसी स्थिति में प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा–227 दं0प्र0सं0 खारिज किये जाने योग्य है।

6– संक्षेप में अभियोजन कथानक इस प्रकार है कि प्रस्तुत मामले में अभियोगी राम बिलास पुत्र जयकरन निवासी ग्राम–हरैया

थाना–बसखारी जिला–अम्बेडकरनगर ने थाना–जलालपुर पर दिनांक–21.06.2015 को 13.00 बजे इस आशय की प्रथम सूचना रिपोर्ट अंकित कराई कि वह शोएब खान पुत्र मो0 हनीफ निवासी हरैया थाना–बसखारी के पेट्रोल पम्प पर कर्मचारी है। दिनांक–21.06.2015 को समय लगभग 10.30 बजे प्रातः हरैया पेट्रोल पम्प से वाहन सं0–यू0पी045–एल.–0044 एक्स.यू.वी. से शोएब खान व उनके रिश्तेदार तनवीर वेग पुत्र मो0 सगीर निवासी भोगल चक मुगलसराय थाना–अलीनगर जनपद–चन्दौली के साथ जलालपुर जा रहे थे। वाहन स्वयं शोएब खान चला रहे थे, जब वे लोग कर्बला कासिम पुर बाजार नहर से आगे पहुॅचे थे, तभी समय 11.00 बजे दिन में दो अज्ञात मोटर साइकिल सवार एकाएक वाहन से आगे निकल कर शोएब खान पर फायर करना शुरू कर दिये, जिससे गोली लगने से शोएब खान मौके पर गम्भीर रूप से घायल हो गये, उसी फायरिंग में उसे भी दाहिने बांह में चोटे आयी। मौके पर काफी भीड़ इकट्ठा हो गयी, और दोनों बदमाश भाग गये, भीड़ में से एक व्यक्ति से गाड़ी चलवाकर वह शोएब खान को सरकारी अस्पताल जलालपुर ले गया जहॉ डाक्टरों ने शोएब खान को मृत घोषित कर दिया। उसकी रिपोर्ट लिखकर कानूनी कार्यवाही की जाय।

7– यह उल्लेखनीय है कि शोएब खान की घटना के दिनांक– 21.06.2015 को ही मृत्यु हो गयी, और उसके शव का पंचनामा व पोस्टमार्टम थाना–जलालपुर की पुलिस द्वारा कराया गया, और दौरान विवेचना अभियुक्त सईद उर्फ गुड्डू के विरूद्ध धारा–302, 307,120बी. भा0दं0सं0 के अन्तर्गत आरोप–पत्र प्रेषित किया गया। विवेचना के दौरान विवेचनाधिकारी को इस आशय का परिस्थितिजन्य साक्ष्य प्राप्त हुआ कि अभियुक्तगण सतीश यादव, मो0 शाहिद, सईद अहमद उर्फ गुड्डू ने मृतक शोएब खान की हत्या की, तथा राम बिलास को जान से मारने की नीयत से चोट कारित की गयी। मृतक शोएब खान की मॉ रजैतुल निशां ने दिनांक–22.06.2015 को प्रभारी निरीक्षक जलालपुर को इस आशय की सूचना दी है कि उसके लड़के मो0 शोएब खान की दिनांक–21.06.2015 को दो बदमाशों द्वारा कासिमपुर कर्बला के पास हत्या कर दी गयी। उसका लड़का उससे व

घर वालों से कई बार बताया कि मशरूफ पुत्र हाजी सुलेमान निवासी फिरोजपुर दोस्तपुर सुल्तानपुर दुश्मनी मानते हैं, क्योंकि दोस्तपुर में पेट्रोल पम्प स्थापित करने के लिए फरहाना खातून के नाम बनवाना चाहते थे, जिनकी मृत्यु हो गयी। जिसमें वह हर तरह से असफल रहे। जिसका पावर आफ एटार्नी उसके लड़के को था। इसी रंजिश के कारण उसने उसके लड़के को मरवाने की साजिश रची तथा धमकी दिये। इस प्रकार इस हत्या का हेतुक अभियुक्तगण के विरूद्ध रंजिश का होना बताया गया। वादी/चुटहिल ने अभियुक्तगण की मोटर साइकिल के आधार पर बाद में पहचान करते हुए उनके नाम विवेचनाधिकारी को बताये। पत्रावली पर अन्य साक्षीगण के कथनों व उपलब्ध परिस्थितिजन्य साक्ष्य को दृष्टिगत रखते हुए अभियुक्त गुड्डू उर्फ सईद के विरूद्ध धारा–302,307,120बी भा0दं0सं0 का प्रथम दृष्टया मामला बनता है, और आरोप विरचित करने के लिए पर्याप्त साक्ष्य है। जहॉ तक आरोप विरचना का प्रश्न है, अभियुक्त के विरूद्ध आरोप प्रबल संदेह के आधार पर भी विरचित किया जा सकता है। इस संदर्भ में मैं निर्णयज विधि '' भारत पारिख बनाम सी.बी.आई. 2008 सीआरएलजे 3540 (एससी), रूकमिनी नारवेकर बनाम विजया सतरडेकर ,ए आई आर 2009 (एससी),1013, स्टेट आफ उड़ीसा बनाम देवेन्द्र नाथ पाधी 2005 (51) ए सी सी 2009 (एससी) में माननीय उच्चतम न्यायालय एवं सचिन सक्सेना उर्फ लकी बनाम स्टेट आफ यू. पी. 2008 (62) ए सी सी 454 (इलाहाबाद) का उल्लेख करना चाहूँगा, जिसके अन्तर्गत माननीय उच्चतम न्यायालय एवं उच्च न्यायालय द्वारा यह विधि व्यवस्था प्रतिपादित की गयी है कि अभियुक्त को उन्मोचित किये जाने के लिए कारण स्पष्ट किया जाना आवश्यक है, जब कि आरोप विरचना हेतु न्यायालय की राय में ऐसी उपधारणा ही पर्याप्त है कि अभियुक्त ने ऐसा अपराध कारित किया है।

8– यह भी उल्लेखनीय है कि **ओंकारनाथ मिश्रा व अन्य –बनाम–स्टेट एन.सी.टी. आफ दिल्ली व अन्य (2008)2 सुप्रीम कोर्ट केसेज 561, एवं 2– श्रीमती पूजा–बनाम–उ0प्र0 राज्य, इलाहाबाद उच्च न्यायालय,** के अन्तर्गत यह विधि व्यवस्था दी गयी है कि प्रबल संदेह के आधार पर

भी आरोप विरचित किया जा सकता है।

9— प्रस्तुत मामले के तथ्यों एवं परिस्थितियों एवं उपलब्ध परिस्थितिजन्य साक्ष्य को दृष्टिगत रखते हुए अभियुक्त गुड्डू उर्फ सईद के विरूद्ध धारा—302,307,120बी भा0दं0सं0 का आरोप विरचित करने हेतु पर्याप्त साक्ष्य उपलब्ध है। अभियुक्त की ओर से प्रस्तुत प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा—227 दं0प्र0सं0 कागज सं0—8ब में कोई विधिक बल प्रतीत नहीं होता है, और तदानुसार प्रार्थनापत्र खारिज किये जाने योग्य है।

आदेश

10— अभियुक्त गुड्डू उर्फ सईद द्वारा प्रस्तुत प्रार्थनापत्र कागज सं0—8ब अन्तर्गत धारा—227 दं0प्र0सं0 खारिज किया जाता है। पत्रावली दिनांक—05.08.2016 को आरोप विरचना हेतु पेश हो। अभियुक्तगण व्यक्तिगत रूप से उपस्थित हों।

दिनांक—16.07.2016

(सर्वेश कुमार)
अपर सत्र न्यायाधीश
कोर्ट संख्या—1
अम्बेडकरनगर